फर्द अहकाम

ग्राम जनता रोहिताशपुरा जरिये रामकल्याण **बनाम** बद्रीनारायण

न्यायालय ACM [illegible]

संख्या T-2 40/2021

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	15/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6/5/25 को पेश हो।	
	06/05/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस T-I दिनांक 20/05/2025 को पेश हो।	
	20/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र T-I दिनांक 30/05/2025 को पेश हो।	
	30/05/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण अस्वीकार	

फर्द अहकाम

आम जनता रोहिताशपुर जरिये **बनाम** बद्रीनारायण रामकल्याण

नाम न्यायालय ACM बस्ती

केस संख्या 40/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। [signature] 30/3/24 सहायक कलक्टर बस्ती जिला—बस्ती

न्यायालय सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारीः- शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र :- 40/2021
जीसीएमएस नम्बर :-2021/00085

1. रामकल्याण पुत्र स्व. धन्नालाल
2. राधामोहन पुत्र स्व. रामनारायण
3. बजरंग लाल पुत्र कैलाश
4. मुकेश पुत्र भैरूराम

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम रोहतासपुरा आम जनता, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

---प्रार्थीगण

-: बनाम :-

1. बद्रीनारायण पुत्र गंगू
2. कुलदीप पुत्र रामूलाल
3. प्रभाती पत्नि रामनारायण
4. महेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण
5. गिर्राज पुत्र रामनारायण
6. रामधन पुत्र रामूलाल
7. विनोद पुत्र रामनारायण
8. शंकरलाल पुत्र रामूलाल
9. हरिनारायण पुत्र रामूलाल

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम रोहतासपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
11. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जरिये आयुक्त कार्यालय विड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर।

-----अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 30.05.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.06.2021 को एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया जो दिनांक 08.06.2021 को प्रार्थना पत्र संख्या 40/2021 बउनवानी आम जनता रोहतासपुरा जरिये रामकरण वगैरह बनाम बद्रीनारायण वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्रमें इस आशय का कथन किया कि प्रार्थीया द्वारा श्रीमान् के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र व पृथक से एक वाद पत्र सुदृढ तथ्यो

30/5/25

एंव आधारो पर प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीया को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है।

राजस्व ग्राम रोहतासपुरा, पटवार हल्का दूधली, भू०अ० निरीक्षक क्षेत्र दूधली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 45/2 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.8852 हैक्टेयर स्थित है उक्त खसरान् की भूमि को "भूमि वादग्रस्त" शब्द से संबोधित करते हुए कथन किया कि हाल खसरा नम्बर 45/2 के साबिका खसरा नम्बर 118 रहे है एंव भूमि वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 48 के पूर्व में साबिका खसरा नम्बर 117 है।

दौराने एकीकरण विभाग के कर्मचारियो व अधिकारियो ने भूमि वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 45/2 का वर्तमान नक्शा उक्त साबिक खसरा नम्बर 118 के नक्शे के मुताबिक तैयार नहीं किया गया था एंव नक्शा छोटा बना दिया था एंव वर्तमान नक्शा करीब 4 बिस्वा का छोटा बना दिया था एंव भूमि वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 48 का वर्तमान नक्शा एकीकरण विभाग के कर्मचारियो ने दौराने एकीकरण करीब 4 बिस्वा का अधिक बना दिया था।

भूमि वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 45/2 के मूल खसरा नम्बर दौराने एकीकरण खसरा नम्बर 45 रहे है एंव एकीकरण के दौरान उक्त भूमि की खातेदारी राजस्थान सरकार अप्रार्थी संख्या 10 के नाम रही थी एंव एकीकरण के पश्चात उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 11 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम राजस्व विभाग के कर्मचारियो व अधिकारियो द्वारा दर्ज कर दी गई थी एंव उक्त भूमि की किस्म आम रास्ता है एंव प्रार्थीगण आम जनता रोहतासपुरा द्वारा उक्त रास्ते की भूमि को सार्वजनिक हित में उपयोग उपभोग किया जा रहा है एंव इस कारण आम जनता रोहतासपुरा प्रार्थीगण का सार्वजनिक हित उक्त रास्ते की भूमि में कानूनन निहित है एंव अप्रार्थी संख्या 11 के अधिकारियो व कर्मचारियो द्वारा मौखिक रूप से प्रार्थीगण को सार्वजनिक हित में उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र सक्षम राजस्व न्यायालय में पेश करने हेतु कहा गया था। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा सार्वजनिक हित में एंव राजहित में उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

भूमि वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 48 रकबा 0.8852 हैक्टेयर की वर्तमान में खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 के नाम दर्ज है एंव अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 भूमि वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 48 के वर्तमान नक्शा जो गलत बना हुआ है, उसकी आड़ में भूमि वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 45/2 की गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर जबरन व अवैधानिक रूप से कब्जा कर पुख्ता निर्माण कर रहे है जिसका कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 को कानूनन कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है।

दिनांक 07.06.2021 को प्रार्थीगण आम जनता रोहतासपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 से भूमि वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 45/2 व हाल खसरा नम्बर 48 के वर्तमान नक्शा ट्रेस को साबिका नक्शा ट्रेस के मुताबिक दुरूस्त करवाने हेतु कहा गया तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 ने इन्कार कर दिया व भूमि वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 45/2 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर नक्शा दुरूस्त हुए बिना ही अवैधानिक रूप से पुख्ता निर्माण करने लगे एंव रास्ते की भूमि को हड़पने की धमकी दी। इस कारण प्रार्थीगण आम जनता रोहतासपुरा

30/5/25

की सार्वनिक हित व राजहित में उक्त प्रार्थना पत्र पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अगर अप्रार्थी संख्या 1 ता9 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण आम जनता रोहतासपुरा को अपूर्णीय क्षति हो जावेगी। प्रथम दृष्ट्या वाद एंव सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण आम जनता के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आम जनता रोहतासपुरा जरिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एंव भूमि वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 45/2 रकबा 0.1644 हैक्टेयर, हाल खसरा नम्बर 48 रकबा 0.8852 हैक्टेयर स्थित ग्राम रोहतासपुरा, पटवार हल्का दूधली, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र दूधली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त भूमि वादग्रस्त का वर्तमान नक्शा ट्रेस साबिका नक्शा ट्रेस के मुताबिक नहीं हो जाने तक कोई पुख्ता निर्माण नहीं करे एंव मौके की यथास्थिति बनायी रखे।

न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2021 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर केवियटकर्ता को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये। डिस्पेच नम्बर 935-936 दिनांक 08.06.2021 द्वारा नोटिस जारी किये गये। दिनांक 11.06.2021 को अप्रार्थीगण की तलबी रजिस्टर्ड नोटिस से कराने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 16.06.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री राजेश शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए। दिनांक 09.07.2021 को मूल वाद में आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली मूल वाद के साथ की गई। दिनांक 20.10.2021 को पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प दूधली मे पेश हुई जहां पर प्रार्थी व अपार्थीगण स्वंय उपस्थित हुए। प्रार्थी की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत दूधली ने की। दिनांक 28.10.2021 को पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प टोडाभाटा में पेश हुई। जहां पर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के पी.पी. महेश कुमार सैनी की ओर से श्री घनश्याम चन्देल कनिष्ठ सहायक उपस्थित हुए। दिनांक 23.11.2021 को पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प मानगढ खोखावता में पेश हुई जहां पर घनश्याम चन्देल पी0पी0 की ओर से क0 सहायक उपस्थित हुए। दिनांक 03.12.2021 को पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प तूंगा में पेश हुई।

दिनांक 11.03.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 की ओर से जवाब अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रारम्भिक आपत्तियां उठाई गई कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र झूंठे व मनगढन्त तथ्यो के आधार पर अपने आपको आम जनता बताते हुए प्रस्तुत किया है जो कि विधि की मंशा के विपरीत प्रस्तुत किया गया है क्योंकि-

विधि की यह मंशा है कि न्यायालय के समक्ष किसी भी विवादित सम्पत्ति से हितबद्ध सभी व्यक्तियो का या तो वैयक्तिक तामील कराकर या जहॉं व्यक्तियो की संख्या या किसी अन्य कारण से ऐसी तामील युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है वहॉं लोक विज्ञापन द्वारा, जैसा भी न्यायालय हर मामले में

30/5/25

निर्दिष्ट करे, वाद के संस्थित किये जाने की सूचना वादी के खर्च पर देगा एंव माननीय न्यायालय के समक्ष ग्राम रोहितासपुरा के समस्त ग्रामवासियो को इस संबंध में प्रार्थीगण की ओर से कोई सूचना लोक विज्ञापन के जरिये नहीं दी गई है, जिससे माननीय न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हो सके कि उक्त प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने हेतु हितबद्ध व्यक्ति कौन-कौन है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र कानूनी की मंशा के विपरीत प्रस्तुत होने के कारण प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 11 के रूप में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जरिये आयुक्त को पक्षकार बनाया गया है एंव धारा 79 जयपुर विकास प्राधिकरण एक्ट में यह विधिक प्रावधान है कि जयपुर विकास प्राधिकरण को यदि अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाया जाता है तो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह की नोटिस दिया जावेगा लेकिन उपरोक्त प्रकरण में वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 79 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस नहीं दिया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र विधि में वर्णित प्रावधानो के विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का मुख्य आधार राजस्थान भूमि (एकीकरण तथा विखण्डन निवारण) अधिनियम 1954 के तहत एकीकरण विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के इन्द्राज को निरस्त कराने का है। मिन अप्रार्थीगण का निवेदन है कि उक्त अधिनियम एक विशेष प्रक्रियात्मक अधिनियम है, जिसके तहत की गई कार्यवाही का उक्त अधिनियम में दिये गये प्रावधानो के तहत दी गई निर्धारित समयावधि में ही एकीकरण अधिकारी के समक्ष ही चुनौती दी जा सकती थी। कन्सोलिडेशन एक्ट की धारा 14 के अनुसार किसी भी क्षेत्र में भूमि एकीकरण करने के उद्धेश्य से राज्य सरकार राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा संबंधित क्षेत्र में निर्धारित रीति से प्रकाशन के द्वारा भूमि क्षेत्र में भूमि एकीकरण के लिए योजना बनाने हेतु घोषणा करती है इसके पश्चात उस भूमि क्षेत्र में भूमि एकीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। उक्त घोषणा के पश्चात उक्त अधिनियम की धारा 19 के अर्न्तगत एकीकरण की ड्रॉफ्ट स्कीम के प्रकाशन व आपत्तियां प्रस्तत करने के प्रावधान है। प्रकाशित की गई योजना से जिस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वह या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से ऐसे प्रकाशन की तारीख से 60 दिवस के भीतर योजना संबंधी किन्हीं आपत्तियो को एकीकरण अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा। एकीकरण अधिकारी प्राप्त हुई आपत्तियों पर यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात उस योजना को, ऐसे संशोधनो के साथ जो वह आवश्यक समझता है तथा उन आपत्तियो पर अपनी टिप्पणीयों के साथ भू-प्रबन्ध अधिकारी (एकीकरण) को प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त धारा 20(2) के अनुसार धारा 19 की उपधारा 1 के अर्न्तगत प्रकाशित प्रारूप योजना पर या धारा 19(2) के अर्न्तगत प्रकाशित संशोधन प्रारूप योजना पर उसके प्रकाशित होने के 60 दिवस के भीतर, जैसी भी स्थिति हो, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तो एकीकरण अधिकारी योजना की पुष्टि कर देगा। यदि आपत्तियां प्राप्त हुई है तो धारा 20(3) के अनुसार उन आपत्तियो पर विचार करने के पश्चात या तो योजना की सम्परिवर्तनो सहित या बिना सम्परिवर्तनो के पुष्टि कर देगा या पुष्टि करना स्वीकार कर देगा। धारा 2(2) के अर्न्तगत पुष्टिकृत योजना से पीड़ित व्यक्ति ऐसे प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर एकीकरण अधिकारी उस आपत्ति के बाबत् सार्वजनिक नोटिस देने के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई करने के पश्चात आपत्ति पर धारा 20(4) के अनुसार ऐसी आज्ञा पारित

30/5/25

करेगा जैसा वह उचित समझे। धारा 20(4) में पारित आज्ञा से पीड़ित व्यक्ति कोई भी धारा 21(5) के तहत उस आज्ञा से 30 दिवस के भीतर एकीकरण अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। एकीकरण की कार्यवाही समपन्न होने के पश्चात उसके तहत की गई कार्यवाही अन्तिम प्रकृति की हो जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 35 के अनुसार एकीकरण की कार्यवाही को किसी राजस्व या सिविल न्यायालय में चुनौती देने अथवा आपत्ति प्रस्तुत करने से प्रतिबंधित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 11 ने एकीकरण कार्यवाही में हुए इन्द्राजात को एकीकरण अधिनियम के प्रावधानो के तहत निर्धारित समय सीमा में कभी कोई आपत्ति प्रकट करते हुए चुनौती नहीं दी। सर्वप्रथम तो प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डाई नहीं है एंव इसके अलावा जेडीए की भूमि के संबंध में भी एकीकरण कार्यवाही को राजस्व न्यायालय में चुनौती देने के प्रार्थीगण अधिकारी नहीं है, न ही राजस्व न्यायालय को एकीकरण कार्यवाही के इन्द्राजात को निरस्त करने का ही क्षेत्राधिकार है।

अप्रार्थीगण के स्वामित्व एंव खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 48 का रकबा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में 0.8852 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने मिन अप्रार्थीगण के स्वामित्व एंव खातेदारी की भूमि का जो राजस्व नक्शा तैयार किया गया वह राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज रकबे के मुताबिक तैयार न कर 0.8375 हैक्टेयर का ही तैयार किया यानिकि मिन अप्रार्थीगण का राजस्व नक्शा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के मुकाबले 0.0477 हैक्टेयर का कम तैयार किया गया है एंव मिन अप्रार्थीगण के पूर्वी दिशा में स्थित खसरा नम्बर 45/2 का राजस्व नक्शा मिन अप्रार्थीगण के राजस्व नक्शे में शामिल कर दिया गया एंव खसरा नम्बर 45/2 के पूर्वी दिशा में स्थित खसरा नम्बर 49/120, 49, 49/2 का राजस्व नक्शा बढा तैयार कर उसे खसरा नम्बर 45/2 में शामिल कर दिया। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियो ने मिन अप्रार्थीगण का राजस्व नक्शा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के मुकाबले छोटा कर दिया जो कि काबिले दुरूस्त योग्य है। उपरोक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार चलने योग्य नहीं होने से काबिले खारिज है।

मदवार जवाब में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को अस्वीकार करते हुए एंव प्रारम्भिक आपत्तियो में वर्णित तथ्यो की पुनरावृति करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्य गलत है। प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डाई नहीं है इसलिये प्रार्थीगण को उसमें सफलता की आशा करना मृग मरीचिका के समान है।

सर्वप्रथम तो प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डाई नहीं है एंव इसके अलावा जेडीए की भूमि के संबंध में भी एकीकरण कार्यवाही राजस्व न्यायालय में चुनौती देने के प्रार्थीगण अधिकारी नहीं है, न ही राजस्व न्यायालय को एकीकरण कार्यवाही के इन्द्राजात को निरस्त करने का ही क्षेत्राधिकार है बल्कि वास्तविक तथ्य यह कि मिन अप्रार्थीगण का ही राजस्व नक्शा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज रकबा 0.8852 हैक्टेयर के मुकाबले छोटा तैयार किया है।

प्रार्थीगण आम जनता रोहताशपुरा नहीं है बल्कि प्रार्थीगण एक ही समाज एंव एक ही परिवार के सदस्य है एंव प्रार्थी संख्या 1 गत चुनाव में मिन अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र के विरूद्ध पंचायत चुनावो में वार्ड मैम्बर के पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ था एंव चुनावो में उससे हार गया था, उसकी

30/5/25

रंजिशवश प्रार्थीगण ने मिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध कानूनन चलने योग्य नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र में बताये गये रास्ते से दूर-दूर तक प्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है तथा प्रार्थीगण के आवासीय मकानात एंव खातेदारी भूमि उक्त रास्ते से पहले ही बस्सी से दूधली जाने वाले मुख्य रास्ते पर स्थित है। सम्पूर्ण ग्राम रोहिताशपुरा में अन्य समाज, जाति के लोग भी काफी संख्या में निवास करते है जो कि ग्राम रोहिताशपुरा की आम जनता में आते है लेकिन प्रार्थीगण ने जो कि एक ही परिवार एंव समाज के व्यक्तियो की ओर से राजनैतिक रंजिशवश मिन अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से प्रार्थना पत्र/ वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया, जिसे उसे प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से काबिले खारिज है। अप्रार्थी संख्या 11 के कर्मचारी एंव अधिकारी इतने असक्षम नहीं है कि जिन्हें अपने अधिकारो की रक्षा के लिए किसी अन्य का सहारा लेना पड़े इसलिये प्रार्थीगण का यह कथन अपने आपमें मिथ्या है कि अप्रार्थी संख्या 11 के अधिकारियो व कर्मचारियो द्वारा मौखिक रूप से प्रार्थीगण को सार्वजनिक हित में उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु कहा गया था। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र सार्वजनिक हित में एंव राजहित में प्रस्तुत न कर राजनैतिक रंजिशवश प्रस्तुत किया है।

मिन अप्रार्थीगण अपने स्वामित्व की भूमि पर ही काबिज है एंव ग्राम रोहिताशपुरा में जो आम रास्ता बना हुआ है उस आम रास्ता में सीसी रोड़ की तरफ मिन अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेशुदा भूमि है एंव प्रार्थीगण को मिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध उनकी स्वामित्व एंव खातेदारी भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, ना ही प्रार्थीगण को जेडीए की भूमि के संबंध में मिन अप्रार्थीगण का राजस्व नक्शा रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज रकबा 0.8852 हैक्टेयर के मुकाबले 0.8375 हैक्टेयर का तैयार कर करीब 0.0477 हैक्टेयर का छोटा बनाया गया है जो कि काबिले दुरूस्त है।

प्रार्थीगण ने दिनांक 07.06.2021 का वाक्या मनगढ्न्त तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम तो प्रार्थीगण को मिन अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन कहने का कोई हक व अधिकार नहीं है क्योंकि जयपुर विकास प्राधिकरण एंव राज्य सरकार इतनी असक्षम नहीं है कि उन्हें प्रार्थीगण के कंधे का सहारा लेना पड़े एंव सम्पूर्ण रोहिताशपुरा में जेडीए को प्रार्थीगण ही इतने मजबूत कंधे वाले मिले, जिन्हें वह अपनी कमजोरी का भार उठाने के लिए कहते। जयपुर विकास प्राधिकरण के पास इतने अधिकारी एंव कर्मचारी है कि उन्हें प्रार्थीगण की आवश्यकता नहीं है।

प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपर्णीय क्षति नहीं हा रही है क्योंकि प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है जबकि वास्तविकता में मिन अप्रार्थीगण का राजस्व नक्शा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज रकबे 0.8852 हैक्टेयर के मुकाबले 0.8375 हैक्टेयर का तैयार कर करीब 0.0477 हैक्टेयर का छोटा बनाया गया है जो कि काबिले दुरूस्त है इसलिये अपूर्णीय क्षति मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्ट्या वाद नहीं है, ना ही सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु उनके पक्ष में है बल्कि मिन अप्रार्थीगण का राजस्व नक्शा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज रकबे 0.8852 हैक्टेयर के मुकाबले 0.8875 हैक्टेयर का तैयार कर करीब 0.0477 हैक्टेयर का छोटा बनाया गया होने के कारण प्रथम दृष्ट्या केस एंव सुविधा का बिन्दु मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

30/5/25

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डाई नहीं होने के कारण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त वेग प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

उभय पक्षकारान् की बहस अन्तिम सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो व प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मजबूत प्रकरण, तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु साबित है इत्यादि तर्को के आधार पर अप्रार्थीगण को वांछित निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया।

विद्धान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 ने प्रार्थीगण के विद्धान अभिभाषक के तर्को का पुरजौर विरोध करते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र व प्रारम्भिक आपत्तियो में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या केस साबित होना तो दूर की बात है, प्रार्थीगण के पक्ष में कोई केस ही नहीं बनता है। प्रार्थीगण की उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। विवादित भूमि से प्रार्थीगण का कोई संबंध, सरोकार, वास्ता, लेना देना नहीं है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार व काबिज काश्तकार नहीं है। प्रार्थीगण के पक्ष में तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु साबित नहीं है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के लिए स्ट्रेन्जर परसन (अजनवी व्यक्ति) है। प्रार्थीगण को आम जनता ग्राम रोहिताशपुरा का प्रतिनिधित्व करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण आम जनता ग्राम रोहिताशपुरा के प्रतिनिधि नहीं है। प्रार्थीगण ने प्रतिनिधित्व वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना बताया है जबकि प्रार्थीगण का वाद एंव प्रार्थना पत्र प्रतिनिधित्व वाद की परिभाषा के अर्न्तगत नहीं आता है। मिन अप्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। कानूनन रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का विधिक अधिकार अजनवी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर अपनी भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण को राजहित में दावा व प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। राजहित में दावा व प्रार्थना पत्र पेश करने का दायित्व व अधिकार राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अथवा जिला कलक्टर का होता है। प्रार्थीगण ने बोगस दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण ने मिन अप्रार्थीगण को हैरान परेशान व खर्चे से जैरबार करने के दुराशय से तुच्छ व परेशान करने वाली मुकदमेंबाजी कर रखी है। अप्रार्थीगण को वांछित निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने पर अप्रार्थीगण के विधिक एंव खातेदारी अधिकारो का हनन होगा तथा अप्रार्थीगण को भारी असुविधा व अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका द्रव्य में मुल्यांकन नहीं किया जा सकेगा, वाद बाहुलता होगी, जिससे न्याय व न्यायालय पर अतिरिक्त भार बढेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भारी हर्जा खर्चा सहित खारिज किये जाने की विधिक एंव न्यायिक मंशा है।

हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन व पठन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा विधि के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के लिए तीन प्रमुख घटक 1-प्रथम दृष्ट्या

30/5/18

प्रकरण, 2-तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन एंव 3-अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओ पर विवेचन व विश्लेषण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रथम दृष्ट्या प्रकरण- प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 की यह स्वीकृत स्थिति है कि पत्रावली पर मौजूद राजस्व ग्राम रोहतासपुरा, पटवार हल्का दूधली, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र दूधली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या नया 38 पुराना 49 के अर्न्तगत विवादित भूमि खसरा नम्बर 48 रकबा 0.8852 हैक्टेयर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 के नाम से दर्ज रिकार्ड है जो विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार है। इसी प्रकार विवादित भूमि खसरा नम्बर 45/2 रकबा 0.1644 हैक्टेयर गै0मु0 रास्ता जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम से खाता संख्या नया 68 पुराना 59 में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार नहीं है। कानूनन स्ट्रेन्जर परसन (अजनवी व्यक्ति) को रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का कोई विधिक अधिकार व लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण साबित नहीं माना जा सकता।

तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति- चूँकि प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण साबित नहीं है तथा प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी साबित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज किये जाने की विधिक एंव न्यायिक मंशा है।

अतएव प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.25 को सरे इजलास में सुनाया गया।

शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर